न्यायालयः– संजीव कटारे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट,

(द0प्र0सं0, 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत आपराधिक कार्य विभाजन)

आदेश वर्ष – 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बालाघाट जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य निर्वहन हेतु पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए निम्न कार्य विभाजन आदेश प्रसारित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त, अनुमोदन तिथि से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन	रिमार्क
1	2	3	4	5
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट।	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, भरवेली, किरनापुर तथा यातायात।	A- 1– आरक्षी केन्द्र कोतवाली, किरनापुर एवं भरवेली के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं थाना भरवेली की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं खारिजी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 2– आरक्षी केन्द्र कोतवाली, किरनापुर एवं भरवेली की सीमा क्षेत्र से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।	
		आबकारी वृत्त बालाघाट	3– आबकारी वृत्त बालाघाट द्वारा की गई कार्यवाहियों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4– यातायात थाना बालाघाट द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद। 5– **माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।**	
		सम्पूर्ण जिला बालाघाट	B- 1– मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952. 2– प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957. 3– औषधि (नियंत्रण) अधिनियम 1950. 4– पासपोर्ट अधिनियम 1967. 5– बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986. 6– म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि0, 1958.	

		नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र, बालाघाट	7– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000. 8– भारतीय कारखाना अधिनियम 1948. 9– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एवं नियम की धारा 59,60,61,62,63 के प्रकरण। 10– गव्हरमेंट रेल्वे पुलिस चौकी बालाघाट से उत्पन्न बालाघाट जिले के अभियोग पत्र (रेल्वे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)। 11– ऐसे वे अन्य सभी प्रकरण जो कि विशेष अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं एवं जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन में नहीं है। 12– मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका बालाघाट द्वारा प्रस्तुत आपराधिक मामले।	
02	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट।	<u>आरक्षी केन्द्र</u> लामता	1– आरक्षी केन्द्र **लामता** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे.द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं खारिजी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **किरनापुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले निजी परिवाद **(धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)** पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **लामता** में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
03	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	<u>आरक्षी केन्द्र</u> हट्टा	1– आरक्षी केन्द्र **हट्टा** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की**	

	बालाघाट।	वन विधि. खान–खनिज अधिनियम.	**पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं खारिजी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधि0के तहत पेश होने वाले परिवाद प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **हट्टा** में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3– वन परिक्षेत्र बालाघाट, वन परिक्षेत्र किरनापुर, वन परिक्षेत्र उत्तर/दक्षिण लामता (सामान्य), वन विकास निगम प्रोजेक्ट डिवीजन की सीमांतर्गत उत्पन्न वन विधि से संबंधित समस्त प्रकरण। 4– जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में उदभुत खान खनिज अधिनियम एवं वन विधि के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण। 5– मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत होने वाले **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** से संबंधित प्रकरण। 6– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
04	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट।	<u>आरक्षी केन्द्र</u> चांगोटोला	1– आरक्षी केन्द्र **चांगोटोला** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं खारिजी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **कोतवाली** की सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले निजी परिवाद **(धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)** पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **चांगोटोला** में दर्ज आबकारी	

			अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय –समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
05	श्री भुपेन्द्रसिंह (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट	आरक्षी केन्द्र नवेगांव (ग्रामीण)	1– आरक्षी केन्द्र **नवेगांव** (ग्रामीण) के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** आपराधिक प्रकरण, खात्मा खारिजी, निजी परिवाद एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 2– थाना **नवेगांव**(ग्रामीण) में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **भरवेली** की सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले निजी परिवाद **(धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)** पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरण। 4– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
06	सुश्री तारा मार्को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट।	<u>आरक्षी केन्द्र</u> महिला थाना **महिला बोर्ड**	1– महिला थाना बालाघाट से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं निजी परिवाद के प्रकरण। 2– जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओ के विरूद्ध उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों एवं परिवाद प्रकरण तथा घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनूसूची के भाग एक, दो, तीन में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर। 3– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	श्रीमती शिखा शर्मा, न्या.मजि.द्वि. श्रेणी बालाघाट की नवीन न्यायालय स्थापित होने से सीरियल कमांक–6(क) स्थापित किया गया।

–:: तहसील न्यायालय वारासिवनी ::–				
07	श्रीमती प्रीति चैतन्य अनुभव चौबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	**महिला बोर्ड.**	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
			2– तहसील न्यायालय **वारासिवनी** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत महिलाओं के विरूद्ध उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद, जो न्या.मजि. प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण।	
		आरक्षी केन्द्र लालबर्रा	3– आरक्षी केन्द्र **लालबर्रा** की सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं खारिजी प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उद्भुत परिवाद प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण।	
			4– आरक्षी केन्द्र **लालबर्रा** में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।	
		नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र वारासिवनी	5– मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका वारासिवनी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।	
08	श्री चैतन्य अनुभव चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।		1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
		आरक्षी केन्द्र वारासिवनी	2– आरक्षी केन्द्र **वारासिवनी (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आप0 प्रकरण तथा धारा **138** नि0 ईन्स्टू0 एक्ट के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण।	
		आबकारी वृत्त वारासिवनी	3– आबकारी वृत्त **वारासिवनी** एवं आरक्षी केन्द्र **वारासिवनी** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधि0से संबंधित प्रकरण।	
		वन विधि अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण.	4– वन परिक्षेत्र **वारासिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी एवं रामपायली** के अंतर्गत उत्पन्न वन विधि से संबंधित समस्त आप0 प्रकरण।	

		खान–खनिज अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण.	5– तहसील न्यायालय **वारासिवनी** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों** से उद्भुत होने वाले खान–खनिज अधिनियम एव वन विधि से संबंधित प्रकरण एवं परिवाद। 6– तहसील वारासिवनी से उद्भुत **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** से संबंधित प्रकरण।	
09	श्री शैलेन्द्र रैकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी,**	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 तक के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।	
10	श्री रौनक पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	आरक्षी केन्द्र **रामपायली**	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **रामपायली (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा धारा **138** नि0 ईस्टू.एक्ट के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **रामपायली** में दर्ज आबकारी अधि0 से संबंधित समस्त प्रकरण।	
–:: तहसील न्यायालय कटंगी ::–				
11	सुश्री सुधा पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटंगी।	आरक्षी केन्द्र **तिरोड़ी** **महिला बोर्ड**	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– तहसील **कटंगी** के अंतर्गत आने वाले	

			समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत महिलाओं के विरूद्ध उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण।	
			3– आरक्षी केन्द्र **तिरोड़ी** की सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण तथा द.प्र.सं. की धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत भरण–पोषण दिलाए जाने संबंधी प्रकरण।	
			4– आरक्षी केन्द्र **तिरोड़ी** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	
		नगरपालिका अधिनियम क्षेत्र तिरोड़ी	5– म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत **तिरोड़ी** द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।	
		वन विधि एवं खान–खनिज अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण.	6– तहसील कटंगी के क्षेत्रांतर्गत आने वाले वन विधि एवं खान–खनिज अधि0 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।	
			7– तहसील क्षेत्र कटंगी से उद्भुत होने वाले **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** से संबंधित प्रकरण।	
12	श्रीमती नेहा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी।	आरक्षी केन्द्र **कटंगी**	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
			2– आरक्षी केन्द्र **कटंगी** की सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा **138** निगो.इस्ट्रू.एक्ट के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण तथा द.प्र.सं. की धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत भरण–पोषण दिलाए जाने संबंधी प्रकरण।	
		<u>आबकारी वृत्त</u> कटंगी	3– आबकारी वृत्त **कटंगी** एवं आरक्षी केन्द्र **कटंगी** के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	
		नगरपालिका अधिनियम क्षेत्र कटंगी	4– मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत **कटंगी** द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।	

–:: तहसील न्यायालय बैहर ::–				
13	श्री अनुराग खरे न्या0मजि0प्र0 श्रेणी, बैहर।	आरक्षी केन्द्र बैहर, मलाजखण्ड.	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **बैहर एवं मलाजखंड (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा धारा 138 निगो. इन्स्ट्रू एक्ट के तहत परिवाद प्रकरण तथा द.प्र.सं. की धारा 125 लगायत 128 तक के अंतर्गत भरण–पोषण दिलाए जाने संबंधी प्रकरण।	
		आबकारी वृत्त बैहर (पूर्व एवं पश्चिम) नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र	3– आबकारी वृत्त **बैहर** (पूर्व एवं पश्चिम) एवं आरक्षी केन्द्र **बैहर एवं मलाजखंड** में दर्ज होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4– मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत बैहर तथा नगर पालिका मलाजखंड द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।	दिनांक 28.10.23 के संशोधन अनुसार परसवाड़ा के स्थान पर बैहर सुधार किया गया है।
		वन विधि एवं खान–खनिज क्षेत्र के प्रकरण.	5– तहसील न्यायालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त वन परिक्षेत्र, कान्हा नेशनल पार्क कोर एरिया से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 6– तहसील न्यायालय **बैहर** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों** से उद्भुत होने वाले खान–खनिज अधिनियम एव वन विधि से संबंधित प्रकरण एवं परिवाद। 7– तहसील क्षेत्र **बैहर** से उद्भुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण।	
14	सुश्री कीर्ति उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर।	**महिला बोर्ड.**	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– तहसील न्यायालय **बैहर** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों** से महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले **प्रकरण** एवं **परिवाद** जो न्या.मजि.प्र.श्रे.द्वारा विचारणीय हो तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि.2005 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा एवं रूपझर** के	

		आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा एवं रूपझर.	सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा **138** निगो.ईस्ट्रू, एक्ट के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण, द.प्र.सं. की धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत भरण–पोषण दिलाए जाने संबंधी प्रकरण। 4– आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा एवं रूपझर** में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।	
15	श्री कृष्णकांत बागरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर।	आरक्षी केन्द्र बिरसा एवं गढ़ी।	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **बिरसा एवं गढ़ी (महिलाओं के विरुद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 निगो.इंस्ट. एक्ट के तहत परिवाद प्रकरण तथा द.प्र.सं. की धारा 125 लगायत 128 तक के अंतर्गत भरण–पोषण दिलाए जाने संबंधी प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **बिरसा एवं गढ़ी** में दर्ज होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।	
–:: तहसील न्यायालय लांजी ::–				
16	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लांजी।	**महिला बोर्ड** आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला. नगर पालिका अधिनियम. आबकारी वृत्त लांजी	1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** के सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, खारिजी एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण तथा धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** के सीमा क्षेत्र से उद्भुत द.प्र.सं. की धारा 125 लगायत 128 तक के अंतर्गत भरण–पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन। 4– मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत लांजी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण। 5– आबकारी वृत्त **लांजी** एवं आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** में दर्ज आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	

		वन विधि एवं खान–खनिज अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण.	6– लांजी न्यायालय के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र से उद्भुत वन विधि एवं खान–खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 7– तहसील क्षेत्र लांजी से उद्भुत होने वाले **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** से संबंधित प्रकरण।	

नोट :–

(1)– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।

(2)– स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो उनके पूर्वाधिकारी को इस कार्य विभाजन पत्रक के आदेश से प्राप्त है।

(3)– अवकाश, स्थानांतरण एवं अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दाण्डिक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जायेंगे जिसकी सूचना सूची में संलग्न है, प्रभार क्रमशः रहेगा।

(4)– आरक्षी केन्द्र के रिमाण्ड प्रपत्र जो लम्बित है, उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रेषित किया जावे।

(5)– सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दाण्डिक कार्य निष्पादित करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जायेंगे।

(6)– आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

(7)– धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृतियाँ एवं कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर क्रमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

(8)– मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश दाण्डिक के नियम 680 के मुताबिक जिस न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के निराकरण के संबंध में आदेश पारित किया जाता है उस आदेश में स्पष्ट होना चाहिए कि सम्पत्ति किस व्यक्ति, किस संस्था या किस विभाग को वापस की जाना है उसका पूरा नाम, पता लिखे जिससे सम्पत्ति के निराकरण में असुविधा न हो।

(9)– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय–दृष्टान्त **सुंदरभाई अम्बालाल देसाई विरूद्ध गुजरात राज्य एस.एल.पी. 2745/2002 में पारित निर्णय दिनांक 01 अक्टूबर 2002** में दिए गए निर्देशों का पालन किया जावे। साथ ही उक्त न्याय–दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के मुताबिक मालखाना में जमा की जाने वाली सम्पत्ति जैसे लाठी, डण्डा, पत्थर, ईंट इत्यादि (सेशन ट्रायल मामलों की सम्पत्ति को छोड़कर) की फोटो खींचकर उसका आकार, प्रकार लम्बाई चौड़ाई अंकित कर उसका पंचनामा अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु अपने–अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को ज्ञापन भेजकर आदेश का पालन सुनिश्चित करावे।

(10)– गिरफ्तारी पत्र में अभियुक्त का छायाचित्र लगाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए जावे जिससे न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियुक्त की पहचान में कोई समस्या उत्पन्न न हों एवं एक्सीडेण्ट के मामले में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का छायाचित्र उतरवाया जाकर उसका पंचनामा बनाया जावे और अभियोग पत्र के साथ उसे पेश कराया जावे जिससे साक्ष्य के दौरान वाहन की पहचान हो सके। आवश्यकतानुसार एक से अधिक फोटो भी लिए जा सकते हैं, परन्तु सभी को पंचनामा का स्वरूप दिया जावे।

(11)– दिन–प्रतिदिन न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले न्यायालय शुल्क (टिकिट) एवं न्यायालय शुल्क स्टाम्प न्यायालय में पेश होने के पश्चात् उन्हें अविलम्ब विधिवत् निरस्त किया जावे जिससे उनका दुरूपयोग न हो सके।

(12)– दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी विशेष या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग किया जाना है तो उक्त विधि के प्रावधान लागू होंगे। ऐसी स्थिति में धारा 325 द.प्र.सं. के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को केवल वे ही मामले भेजे जा सकते हैं जिसमें दण्ड संबंधी अधिकारिता न हो।

(13)– पूर्व में रिक्त न्यायालय अथवा भविष्य में रिक्त होने वाली न्यायालय से संबंधित उत्पन्न होने वाले दाण्डिक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में श्री दयालसिंह, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय वारासिवनी में श्री रौनक पाटीदार, न्या.मजि.प्र.श्रेणी तथा तहसील मुख्यालय बैहर में श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.मजि.प्र.श्रेणी तथा तहसील मुख्यालय कटंगी में सुश्री सुधा पाण्डे, न्या.मजि.प्र.श्रेणी एवं तहसील मुख्यालय लांजी में तत्समय पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

(14)– न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय के अवकाश पर होने अथवा उनके स्थानांतरण होने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनका प्रभार जिला मुख्यालय पर उस समय पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) जो भी मुख्यालय पर उपस्थित हो, पर रहेगा जिसके द्वारा ग्राम न्यायालय का अर्जेन्ट कार्य संपादित किया जावेगा।

(15)– परिशिष्ट–(अ), परिशिष्ट–(ब) एवं परिशिष्ट–(स) कार्य–विभाजन पत्रक के अंग रहेंगे।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

सही /-

(श्री दिनेशचंद्र थपलियाल)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला बालाघाट (म0प्र0)

सही /-

(संजीव कटारे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला बालाघाट (म0प्र0)

–::// परिशिष्ट–अ //::–

न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा **164** द0प्र0सं0 के अधीन संस्वीकृतियाँ तथा कथन अभिलिखित करेंगे।

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
	–:: जिला मुख्यालय बालाघाट ::–	
1	**श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों** एवं **महिला थाना** से महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण।
2	**श्री विकास विश्वकर्मा** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **नवेगांव** (ग्रामीण) **एवं लामता** से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में।
3	**श्री दयालसिंह सूर्यवंशी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली, बहेला एवं अजाक बालाघाट** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
4	**श्री भुपेन्द्रसिंह** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **हट्टा, लांजी** से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में।
5	**सुश्री तारा मार्को** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र चांगोटोला, भरवेली एवं किरनापुर से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में।
	–:: तहसील मुख्यालय बैहर ::–	
1	**सुश्री कीर्ति उइके** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा एवं मलाजखंड** से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में।
2	**श्री अनुराग खरे** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **बिरसा एवं गढ़ी** से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में।
3	**श्री कृष्णकांत बागरे** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **बैहर एवं रूपझर** से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों एवं तहसील मुख्यालय **बैहर** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के **महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत** होने वाले आपराधिक प्रकरणों में।
	–:: तहसील मुख्यालय वारासिवनी ::–	
1	**श्री शैलेन्द्र रैकवार,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **लालबर्रा** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों में।
2	**श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **वारासिवनी एवं रामपायली** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों में।
3	**श्री चैतन्य अनुभव चौबे,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी** से उत्पन्न होने वाले आप0 प्रकरणों में।
4	**श्री रौनक पाटीदार,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	तहसील वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों** में।

–:: तहसील मुख्यालय कटंगी ::–		
1	**सुश्री सुधा पाण्डे** न्या0मजि0प्र0श्रेणी कटंगी	आरक्षी केन्द्र कटंगी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों में।
2	**श्रीमती नेहा ठाकुर** न्या0मजि0प्र0श्रेणी कटंगी	आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी एवं तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों में।

नोट :– उपरोक्तानुसार धारा 164 द.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके अत्यावश्यक कार्य हेतु निर्धारित प्रभारी मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। यदि ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश होता है तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

सही /-

(संजीव कटारे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

–::// परिशिष्ट–ब //::–

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार कंडिका–1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में आवश्यक दाण्डिक कार्य कंडिका–2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा व कंडिका–2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका–3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा कंडिका–3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका–4 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक दांडिक कार्य किया जावेगा।

क्र	कंडिका–एक	कंडिका–दो	कंडिका–तीन	कंडिका–चार	कंडिका–पांच	कंडिका–छः
बालाघाट						
1	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat
2	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat
3	श्री विकास विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्रसिंह, JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को JMFC.Balaghat	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat
4	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat
5	श्री भुपेन्द्रसिंह JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat
6	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat
6(क)	श्रीमती शिखा शर्मा JMSC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्री विकास विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री संजीव कटारे CJM.Balaghat
	श्रीमती शिखा शर्मा, न्या.मजि.द्वि.श्रेणी बालाघाट के नवीन न्यायालय स्थापित होने से कार्य विभाजन पत्रक में दिनांक 28.10.2023 के अनुसार संशोधन किया गया।					
वारासिवनी						
7	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे JMFC.Waraseoni	श्री चैतन्य अनुभव चौबे, JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	--
8	श्री चैतन्य अनुभव चौबे, JMFC.Waraseoni	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे JMFC.Waraseoni	श्री रौनक पाटीदार JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार JMFC.Waraseoni	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी JMFC.Balaghat	--
9	श्री शैलेन्द्र रैकवार,	श्री रौनक पाटीदार,	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे	श्री चैतन्य अनुभव चौबे,	श्री विकास विश्वकर्मा	--

	JMFC.Waraseoni	JMFC.Waraseoni	JMFC.Waraseoni	JMFC.Waraseoni	JMFC.Balaghat	
10	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे JMFC.Waraseoni	श्री चैतन्य अनुभव चौबे, JMFC.Waraseoni	श्री भुपेन्द्र सिंह, JMFC.Balaghat	--
बैहर						
11	श्री अनुराग खरे, JMFC.Baihar.	सुश्री कीर्ति उईके JMFC.Baihar.	श्री कृष्णकांत बागरे, JMFC.Baihar.	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी JMFC.Balaghat	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	–
12	सुश्री कीर्ति उईके, JMFC.Baihar.	श्री कृष्णकांत बांगरे, JMFC.Baihar.	श्री अनुराग खरे, JMFC.Baihar.	श्री भुपेन्द्र सिंह, JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी JMFC.Balaghat	–
13	श्री कृष्णकांत बागरे, JMFC.Baihar.	श्री अनुराग खरे, JMFC.Baihar.	सुश्री कीर्ति उईके, JMFC.Baihar.	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह, **JMFC.Balaghat**	–
कटंगी						
14	सुश्री सुधा पांडे JMFC Katangi	श्रीमती नेहा ठाकुर, JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni.	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री चैतन्य अनुभव चौबे, JMFC.Waraseoni	–
15	श्रीमती नेहा ठाकुर JMFC Katangi	सुश्री सुधा पांडे JMFC Katangi	श्री रौनक पाटीदार, JMFC.Waraseoni	श्री शैलेन्द्र रैकवार, JMFC.Waraseoni.	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे, JMFC.Waraseoni	–
लांजी						
16	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी JMFC Lanji.	सुश्री तारा मार्को, JMFC.Balaghat	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, JMFC.Balaghat	श्री दयालसिंह, JMFC.Balaghat	श्री भुपेन्द्र सिंह, JMFC.Balaghat	–

नोट :–(1) यदि परिस्थितिवश कंडिका–1 में वर्णित पीठासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य हेतु नियत पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते हैं तो उक्त न्यायालय का समस्त आवश्यक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्यालय में तत्समय कार्यरत् वरिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

सही /-
(संजीव कटारे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

–::// परिशिष्ट–स //::–

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 52क के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोफिक सब्सटेन्स (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के दिनांक 23.12.2022 से प्रभावशील होने के कारण उक्त संबंध में धारा 52क एन.डी. पी.एस. एक्ट के तहत नमूना की कार्यवाही के लिये नियम 8 के तहत न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट के संबंध में निर्मित नवीन नियम के अंतर्गत नमूना कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
	–:: जिला मुख्यालय बालाघाट ::–	
1	**श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **बहेला** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
2	**श्री विकास विश्वकर्मा** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **भरवेली** एवं **ग्रामीण नवेगांव** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
3	**श्री दयालसिंह सूर्यवंशी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **कोत0बालाघाट** एवं **हट्टा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
4	**श्री भुपेन्द्रसिंह** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **किरनापुर** एवं **चांगोटोला** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
5	**सुश्री तारा मार्को** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **लामता** एवं **लांजी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
	–:: तहसील मुख्यालय बैहर ::–	
1	**श्री अनुराग खरे** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा** एवं **रूपझर** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	**सुश्री कीर्ति उइके** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **बिरसा** एवं **गढ़ी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
3	**श्री कृष्णकांत बागरे** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **बैहर** एवं **मलाजखण्ड** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
	–:: तहसील मुख्यालय वारासिवनी ::–	
1	**श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **रामपायली** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	**श्री चैतन्य अनुभव चौबे,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **लालबर्रा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
3	**श्री शैलेन्द्र रैकवार,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **वारासिवनी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
4	**श्री रौनक पाटीदार,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।

–:: तहसील मुख्यालय कटंगी ::–		
5	**सुश्री सुधा पाण्डे** न्या0मजि0प्र0श्रेणी कटंगी	आरक्षी केन्द्र **तिरोड़ी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।
6	**श्रीमती नेहा ठाकुर** न्या0मजि0प्र0श्रेणी कटंगी	आरक्षी केन्द्र **कटंगी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन. डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।

नोट :– उपरोक्तानुसार धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकृत मजिस्ट्रेट के लम्बे समय के अवकाश पर रहने की दशा में उक्त कार्यवाही अत्यावश्यक कार्य हेतु परिशिष्ट–ब में निर्धारित प्रभारी मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। यदि ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कार्यवाही हेतु पेश होता है तो क्रमशः अगले प्रभारी कार्यवाही करेंगे।

कार्य विभाजन पत्रक 2023 में किसी प्रकार के संशय अथवा असमंजस की स्थिति होने पर सांख्यकीय अनुभाग अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पदस्थ शीघ्रलेखक से सम्पर्क किया जा सकता है।

(संजीव कटारे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

प्रतिलिपि :–

1– कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बालाघाट,
2– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी,
3– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय बालाघाट,
4– जिला अभिभाषक संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी,
5– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यु.अनु.,बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी,
व्हॉट्स–ॲप एवं ईमेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।

सही /-

(संजीव कटारे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)